राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयुपर

समक्षः—श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, पीठासीन सदस्य(न्यायिक)

श्री शैलेन्द्र भट्ट,सदस्य

परिवाद संख्याः— 82 / 2017

RAM NIWAS MEENA s/o Rameshwar Lal Meena, aged 44 years, R/O- Post Mundiagarh, Tehsil- Kishangarh- Renwal, Jaipur, Rajasthan

- Complainant

Versus

R.K. Fracture Hospital and Trauma center, Through its Director, Opposite Daulat Shah Baba Dargah, Jaipur Road, Chomu, Jaipur

- Respondent

परिवाद अंतर्गत धारा 17 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

उपस्थितः—

1. परिवादी की ओर से श्री राकेश शर्मा, अधिवक्ता।
2. विपक्षी की ओर से श्री वीरेन्द्र सैनी, अधिवक्ता।

निर्णय दिनांकः— 23.01.2023

द्वाराः— श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, पीठासीन सदस्य (न्यायिक)

परिवादी ने विपक्षी अस्पताल के विरुद्ध यह परिवादपत्र इस आयोग में दिनांक 27.07.2017 को इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि दिनांक 20.01.2015 को परिवादी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण इसके दाहिने कूल्हे में गंभीर चोट आई, जिसका ऑपरेशन विपक्षी अस्पताल में (Partial Hip Replacement Surgery) कराया था, किंतु परिवादी ऑपरेशन के बाद भी सही ढंग से नहीं चल पाया, तब विपक्षी के यहां दिनांक 02.02.2015 को दिखाने पर विपक्षी ने वॉकर के साथ चलने के निर्देश दिये, वॉकर के साथ चलने पर भी दर्द कम नहीं हुआ। दिनांक 04.03.2015 को विपक्षी अस्पताल में डॉक्टर राजेन्द्र कुमार शर्मा को दिखाया, तब उन्होंने फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी, परिवादी ने फिजियोथेरेपी भी करायी, किंतु कोई आराम नहीं मिला। परिवादी

ने दिनांक 20.06.2015 को डॉक्टर सुरेन्द्र अबुसरिया को दिखाया, जिसने दोबारा ऑपरेशन कराने की सलाह दी। परिवादी ने बाद में सिटी हॉस्पिटल, अहमदाबाद में दोबारा ऑपरेशन कराया, तब वहां पता चला कि विपक्षी अस्पताल में जो ऑपरेशन कराया था, वह ढंग से नहीं किया गया। सिटी हॉस्पिटल, अहमदाबाद में टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई, जहां 99,500/—रूपये खर्च हुए। इस प्रकार परिवादी के अनुसार 5,00,000/— रूपये प्रथम ऑपरेशन, दवाइयां तथा फिजियोथेरेपी कराने में एवं 4,00,000/—रूपये सिटी हॉस्पिटल, अहमदाबाद में दोबारा ऑपरेशन कराने में खर्च हो गए। इसके अलावा 4,00,000/—रूपये आय का नुकसान हुआ। इस प्रकार परिवादी ने 13,00,000/—रूपये क्षतिपूर्ति के लिये तथा 10,00,000/—रूपये मानसिक क्षतिपूर्ति के लिये यह परिवादपत्र प्रस्तुत किया है।

02. विपक्षी ने दिनांक 07.10.2019 को जवाब परिवादपत्र प्रस्तुत कर यह लिखा कि बिना किसी आधार के परेशान करने के लिये परिवादपत्र प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी अस्पताल की कोई लापरवाही नहीं है। यह भी लिखा है कि परिवादपत्र मियाद के बाहर है। परिवादी के द्वारा समय पर दवाइयां नहीं ली गई एवं दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की गई, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ रहा है, इस प्रकार उन्होंने परिवादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

03. उभयपक्ष की ओर से शपथ पत्र एवं विभिन्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका आवश्यकतानुसार विवेचन किया जावेगा।

04. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने लिखित बहस प्रस्तुत की है, जिनका अवलोकन किया गया।

05. हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि परिवादी के दाहिने कूल्हे की Partial Hip Replacement Surgery विपक्षी अस्पताल में दिनांक 20.01.2015 से दिनांक 23.01.2015 के मध्य की गई है। उसके पश्चात् परिवादी दिनांक 02.02.2015 एवं दिनांक 04.03.2015 को विपक्षी अस्पताल में पुनः दिखाने आया है, तब उसे फिजियोथेरेपी लेने के लिये सलाह दी गई है। परिवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह भी साबित है कि परिवादी ने महला फिजियोथेरेपी सेंटर से फिजियोथेरेपी कराई है एवं सिटी हॉस्पिटल, अहमदाबाद से टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई है। मुख्य रूप से इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि आया विपक्षी अस्पताल के द्वारा परिवादी की

Partial Hip Replacement Surgery करने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही की गई ?

06. हस्तगत प्रकरण में यह भी स्पष्ट होता है कि Partial Hip Replacement Surgery से परिवादी को लाभ नहीं हुआ है, इसलिए उसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने पड़ी है। परिवादी का ऐसा कोई आरोप नहीं है कि विपक्षी अस्पताल का चिकित्सक इस सर्जरी के लिये योग्य एवं अनुभवी न हो।

07. परिवादी की ओर से लिखित बहस में परिवादपत्र के तथ्यों को ही दोहराया गया है। परिवादी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के निम्नलिखित विभिन्न न्यायिक दृष्टांत रेफर किये गये हैंः–

7(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत "Laxman Balkrishna Joshi Vs. Trimbak Bapu Godbole and Ors." (AIR1969 SC12) के मामले में यह बताया गया है कि पर्याप्त योग्यता एवं अनुभव वाले चिकित्सक का यह कर्त्तव्य है कि वह इलाज करने में पर्याप्त सावधानी बरतेगा, किंतु जब इस कर्त्तव्य की पालना नहीं की जाती है, तब चिकित्सा लापरवाही मानी जावेगी।

7(2) माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अपने न्यायिक दृष्टांत "दक्ष हॉस्पिटल एवं अन्य बनाम मंजू सैनी एवं अन्य", रिवीजन पिटिशन नंबर 2398–2399/2018, निर्णय दिनांक 18.03.2020 के मामले में भी यही माना है कि चिकित्सक के द्वारा सावाधनी से कर्त्तव्य निभाया जाना चाहिए तथा ऐसा नहीं करने पर चिकित्सा लापरवाही मानी जावेगी।

7(3) माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अपने न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या– 161/2008 "सुनील भंडारी बनाम पूजा कोरी एवं अन्य", निर्णय दिनांक 27.05.2013 के मामले में भी यही माना है कि जब कोई चिकित्सक कोई ऑपरेशन करता है, तब उसका यह कर्त्तव्य है कि वह ऑपरेशन पर्याप्त सावधानीपूर्वक करे। इस न्यायिक दृष्टांत वाले मामले में चिकित्सक ने ऑपरेशन के दूसरे ही दिन मरीज को डिस्चार्ज कर दिया था, किंतु बाद में उसकी देखभाल नहीं की थी।

7(4) माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अपने न्यायिक दृष्टांत रिवीजन पिटिशन नंबर 3249/2013 "राजेश चंद्र एवं अन्य बनाम करमदेन खान, निर्णय दिनांक 23.05.2019 के मामले में चिकित्सक

ने पर्याप्त जांचे नहीं कराई थी तथा बिना जांच कराये इलाज किया था।

7(5) माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत "Randhir Garg versus Director Inscol Tertiary Care Hospital" रिवीजन पिटिशन नंबर 46/2005 एवं अपील संख्या– 302/2004, निर्णय दिनांक– 15.07.2009 के मामले में यह माना गया कि चिकित्सक ने Out-moded method से ऑपरेशन किया है तथा उसकी लापरवाही से ही दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा है।

7(6) माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अपने न्यायिक दृष्टांत रिवीजन पिटिशन नंबर 491/2007 "Vasudeva P. Kamath vs. Vishwanath" , निर्णय दिनांक – 21.03.2007 के मामले में यह माना है कि चिकित्सक ने दिनांक 19.02.2001 को fracture वाले अंग पर पी.ओ.पी लगाई थी, किंतु पी.ओ.पी. हटाने के बाद x-ray नहीं कराया तथा यह नहीं देखा कि हड्डी जुड़ी अथवा नहीं, तब चिकित्सक की लापरवाही मानी गई थी।

7(7) माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के न्यायिक दृष्टांत रिवीजन पिटिशन नंबर 2448/2013 "Fortis Escorts Hospital vs. Smt. Meenu Jain" निर्णय दिनांक 22.07.2014 के मामले में तथ्य इस प्रकार से थे कि अस्पताल ने "iviglobex" इंजेक्शन 9,000/–रूपये कीमत जोड़ते हुये लगाया, जबकि परिवादी ने अस्पताल से यह प्रार्थना की थी कि बाजार में उक्त इंजेक्शन 30 से 40 प्रतिशत कम कीमत पर मिल रहा है, किंतु विपक्षी अस्पताल ने परिवादी को बाजार से इंजेक्शन लगाने की अनुमति नहीं दी तथा ज्यादा कीमत वसूली।

7(8) परिवादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न हैं। हस्तगत प्रकरण में विपक्षी अस्पताल से परिवादी ने Partial Hip Replacement Surgery कराई है, जबकि सिटी अस्पताल, अहमदाबाद में जो दूसरी Surgery कराई है, वह टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई है। परिवादी ने अपने परिवादपत्र में यह नहीं लिखा है कि विपक्षी अस्पताल में ऑपरेशन योग्य उपकरण न हो अथवा योग्य एवं अनुभवी चिकित्सक न हो। परिवादी ने अपने परिवादपत्र में यह भी नहीं लिखा है कि विपक्षी अस्पताल के चिकित्सक

द्वारा ऑपरेशन करने में क्या असावधनी बरती गई ? हस्तगत प्रकरण में ऑपरेशन के बाद जब भी परिवादी विपक्षी अस्पताल में गया है, तब उसे देखकर वॉकर से चलने तथा फिजियोथेरेपी लेने के निर्देश दिये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में यद्यपि यह सही है कि Partial Hip Replacement Surgery से परिवादी को फायदा नहीं हुआ है तथा उसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ी है।

7(9) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च बनाम आशा जैसवाल एवं अन्य निर्णय दिनांक 30.11.2021 के मामले में यह माना है कि यदि अस्पताल का ऑपरेशन थियेटर संपूर्ण सुविधा युक्त हो, चिकित्सक योग्य एवं अनुभवी हो तब भी यदि मरीज की मृत्यु हो जाती है, तब इसी कारण से चिकित्सक को लापरवाही का दोषी नहीं माना जावेगा।

7(10) माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अपने न्यायिक दृष्टांत रिवीजन पिटिशन नंबर Amrendra Kumar Singh बनाम Dr. Deepak Kumar निर्णय दिनांक 12.03.2020 के मामले में पैरा संख्या 14 में निम्न प्रकार वर्णित किया है:

Commonly and it is more often the presumption of the patient that after any medical or surgical treatment he should get pured completely. However the result of treatment and prognosis of disease depend upon several factors in vivo and vitro. Catena of judgements have defined the elements of medical negligence. It should be done in mind that 'no cure is not always negliginence'. In the instant case we note the doctor OP is qualified, performed cataract surgery as per the standard procedure. Proper antibiotic, eye drops advised post-operatively and kept follow up of the patient. The patient developed symptoms of RD/VH After about one year.

7(11) माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अपने न्यायिक दृष्टांत रिवीजन पिटिशन नंबर 3544/2007 सुखदेव गिल बनाम रेटेरी आई हॉस्पिटल निर्णय दिनांक 05.01.2018 के पैरा नंबर 10 में निम्नलिखित वर्णित किया है:–

Hon'ble Supreme court in a catena of judgements have made e

elaborate observations on the medical negligence. For the complainant to succeed in the claim of alleged medical negligence, he has to prove the essential ingredients of medical negligence like duty, dereliction of duty of care(breach) and resultant damage(injury). In the instant case, the complainant failed to prove those elements. It should be borne in mind that merely because the patient did not respond favourably to the treatment, cannot be a ground to fasten the liability upon the medical professional. Therefore based on the above discussion, we do not find any merit in the instant revision petition and the same is ordered to be dismissed. There shall be no order as to costs.

7(12) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत Jacob Mathew versus State of Punjab and anr.(2005) 6 SSC I में निम्नलिखित विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

" a professional may be held liable on one of two findings: either he was not possessed of requisite skill which he professed to have possessed, or he did not exercise reasonable competence in given case, the sjkill which he did possess"

7(13) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत Bolam versus Frien Hospital Management Committtee (1957) I WLR 582 के मामले में निम्नलिखित विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

1. Whether the doctor in question possessed the medical skills expected of an ordinary skilled practitioner in the field at that point of time;

2. Whether the doctor adopted the practice(of clinical o observation diagnosis - including diagonstic tests and treatment) in the case that would be adopted by such a doctor of ordinary skill in accord with(at least) one of the responsible bodies of opinion of professional practitioners in the field.

3. Whether the standards of skills, knowledge expected of the doctor, according to the said body of medical opinion, were of the time when the events leading to the allegations of medical negligence occurred and not of the time when the dispute was being adjudicated.

In the present case our answer to all points is "yes", because both the OP doctors are qualified ophthalmologists, practicing since two decades. The OP- 2 is a super specialist in IOL and myopia corrective surgery. The OP-3 is a consultant retina surgeon attached to OP-1, the navajyoti eye center. They have adopted the standards of practice, in proper diagnosis, referral and further management. Therefore, in the instant case OPs-2 and 3 are qualified and skilled in their specialty, hence, no negligence can be attributed to their attempts.

7(14) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत कुसुम शर्मा बनाम बत्रा हॉस्पिटल I (2010) CPJ 29(SC) के मामले में चिकित्सा लापरवाही का निष्कर्ष निकालने के लिये विभिन्न बिंदु तय किये हैं जिसमें बिंदु संख्या 11 निम्न प्रकार हैः–

The medical professionals are entitled to get protection so long as they perform their duties with reasonable skill and competence and in the interest of the patients. The interest and welfare of the patients have to be paramount for the medical professionals.

7(15) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत Martin F. D'Suza versus Mohd. Ishfaq, (2009) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज 1 के मामले में अपने पैरा नंबर 40 में निम्नलिखित विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

"Simply because a patient has not favourably responded to a treatment given by a doctor or a surgey has failed, the doctor cannot be held straighaway liable for a medical negligence by applying the doctrine of res ipsa loquitur. No sensible

professional would intentionally commit an act or omission which would result in harm or injury to the patient since the professional reputation of the professional would be at stake. A single failure may cost him dear in his lapse."

7(16) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत डॉक्टर हरीश कुमार खुराना बनाम जोगिंदर सिंह एवं अन्य, (2021) सुप्रीम कोर्ट केसेज 673 में यह माना है कि अस्पताल तथा चिकित्सक के द्वारा पर्याप्त सावधानी बरतने के पश्चात् भी यदि मरीज की मृत्यु हो जाती है तब इसी आधार पर चिकित्सक को लापरवाही का दोषी नहीं माना जावेगा, बल्कि इसलिए पर्यापत साक्ष्य होनी चाहिए जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि चिकित्सक के द्वारा की गई किसी लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस न्यायिक दृष्टांत में अपने पूर्व के निर्णय Martin F d'Souza versus Mohd. Ishfaq(2009) 3 Scc 1 के सिद्धांत को अपनाते हुये यही माना है कि res ipsa loquitur सिद्धांत के आधार पर ही चिकित्सा लापरवाही नहीं मानी जावेगी।

08. उपरोक्त वर्णित विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि योग्य एवं अनुभवी चिकित्सक के द्वारा पर्याप्त सावधानी रखते हुये ऑपरेशन किया जाता है, तब यदि ऑपरेशन अथवा इलाज असफल हो जाता है अर्थात रोगी को फायदा नहीं होता है, तब इसी आधार पर चिकित्सक को लापरवाही का दोषी नहीं माना जावेगा। हस्तगत प्रकरण में परिवादी ने अपने परिवादपत्र में विपक्षी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप यह कहते हुये लगाया है कि सिटी हॉस्पिटल, अहमदाबाद में उसे पता चला कि पहले ऑपरेशन लापरवाहीपूर्वक किया गया है, किंतु सिटी हॉस्पिटल, अहमदाबाद के जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं, उनसे कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि पहले ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई लापरवाही की गई हो तथा उस कारण से दूसरा ऑपरेशन किया जाना आवश्यक माना गया हो।

09. हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि परिवादी ने अपने परिवादपत्र में विपक्षी अस्पताल को ही पक्षकार बनाया है अर्थात ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक को पक्षकार नहीं बनाया है तथा परिवादपत्र में ऐसे कोई आक्षेप

नहीं लगाए हैं कि विपक्षी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए पर्याप्त उपकरण एवं सुविधा न हो अथवा चिकित्सक या स्टाफ के द्वारा देखभाल न की गई हो। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक को पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण भी परिवादी का परिवादपत्र सफल होने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम ऑपरेशन में किसी प्रकार की लापरवाही किया जाना साबित नहीं होता है। फलतः परिवादी के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत परिवादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी के द्वारा विपक्षी अस्पताल के विरुद्ध प्रस्तुत परिवादपत्र खारिज किया जाता है। उभयपक्ष अपना–अपना खर्चा मुकदमा वहन करेंगे।

(शैलेन्द्र भट्ट)
सदस्य

(एस.के.जैन)
सदस्य (न्यायिक)

/साक्षी पारीक/